

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 13 जुलाई, 2021 दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री कामरान रिज़वी
अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
3. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सदस्य सचिव, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड
4. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री ओ पी शर्मा, विधायक
7. श्री आदेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद, नार्थ डी.एम.सी.
8. श्री कैलाश सांकला, निगम पार्षद, साऊथ डी.एम.सी.

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष अतिथि

1. श्रीमती रेनु शर्मा
अपर मुख्य सचिव (यू.डी.), जी.एन.सी.टी.डी.
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता
सदस्य (प्रशा. एवं भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.
3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्यांकन, आवास एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

4. श्री रिकू धुग्गा
सचिव (एल एंड बी), जी.एन.सी.टी.डी.
5. श्री ज्ञानेश भारती
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
6. श्री संजय गोयल
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
7. श्री विकास आनंद
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपराज्यपाल के सचिव

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बूंदेला
उपराज्यपाल की सचिव
2. कुमारी साक्षी ठाकुर
उपराज्यपाल की विशेष सचिव
3. श्री अनूप ठाकुर
उपराज्यपाल के निजी सचिव

- I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने श्री कैलाश सांकला, निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का स्वागत किया, जिन्हें हाल ही में निगम द्वारा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुना गया है।
- II. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी अन्य सदस्यों, विशेष अतिथिगणों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 58/2021

दिनांक 08.06.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का सत्यापन।

एफ.2 (6) 2021/एमसी/डीडीए

दिनांक 08.06.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त को यथा परिचालित सत्यापित किया गया।

मद सं. 59/2021

दिनांक 08.06.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2 (6) 2021/एमसी/डीडीए/पार्ट

दिनांक 08.06.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को निम्नलिखित अवलोकन के साथ नोट किया गया:

श्री सोमनाथ भारती

- i. शिक्षा विभाग को एक विद्यालय हेतु जंगपुरा में दि.ज.बो. भूमि के अंतरण के लिए अनापत्ति पत्र जारी करने के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है और मामले की फिर से जांच की जानी चाहिए।
- ii. दि.वि.प्रा. भूमि पर फेथ एकैडमी द्वारा अतिक्रमण को शीघ्रता से हटाया जाए।
- iii. गौतम नगर में दि.वि.प्रा. भूमि के अनधिकृत कब्जे को हटाने हेतु कार्रवाई करने के लिए दि.वि.प्रा. को धन्यवाद दिया एवं अनुरोध किया कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को बातिल करने के प्रयास किए जाएं ताकि सामुदायिक केंद्र के लिए भूमि का उपयोग किया जा सके।
- iv. बहुउद्देशीय भूमि और भूतल पार्किंग के लिए उपयोग किए जाने हेतु अर्जुन नगर में प्रस्तावित भूखंड का संयुक्त निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- v. दि.वि.प्रा. को खसरा सं.277, हौज खास गांव से संबंधित स्थगन आदेश को बातिल कराने के प्रयास करने चाहिए।
- vi. लो.नि.वि. से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद गोविंदपुरी से हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन तक सड़क हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाए।
- vii. संबंधित आरडब्ल्यूए से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर एमएलएलएडी फंड गुलमोहर पार्क में सामुदायिक केंद्र के विकास हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र को शीघ्र जारी करना।

श्री ओ.पी. शर्मा

- i. सभी समाप्त हो चुके पट्टों के नवीनीकरण की नीति में शीघ्रता लाई जाए।

मद सं. 60/2021

दिल्ली हेतु डायनेमिक पार्किंग मानदंडों के लिए मसौदा नीति।

एफ.15 (01) 2021-एम पी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को इस अवलोकन के साथ अनुमोदित किया गया कि स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए पार्किंग मानदंडों से एमएलसीपी कटौती को हटा दिया जाना चाहिए।

मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 61/2021

दि.मु.यो.- 2021 में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना को शामिल करने के संबंध में प्रस्ताव।

एफ.प्ला./एम.पी./0004/2021/एफ.-15/-ओ/ओ उप निदेशक (यो.) एम.पी.एण्ड डी.सी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 62/2021

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में सीआरपीएफ हेतु ट्रांजिट कैंप के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय को आबंटित 1.94 एकड़ (7850.90 व.मी.) क्षेत्र को 'मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' (पुलिस कैंप) के भूमि उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव।

एफ.20 (07) 2017/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। डी डी अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं. 63/2021

हरित विकास क्षेत्र हेतु मसौदा नीति।

एफ.20 (1) /2021-एम.पी.

एजेंडा मद स्थगित किया गया।

मद सं. 64/2021

हरित विकास क्षेत्र हेतु मसौदा विनियम।

एफ.15 (04) /2021-एम.पी.

एजेंडा मद स्थगित किया गया।

मद सं. 65/2021

फ्लैटों की मानक लागत के लिए वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए फ्लैटों की निर्माण लागत हेतु प्लिंथ एरिया रेट्स (पीएआर)।

एफ.21 (2125) /2019/एच.ए.सी/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं. 66/2021

- i) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभार की गणना के उद्देश्य से दरों का निर्धारण।
- ii) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु बहु स्तरीय पार्किंग के अंतर्गत क्षेत्र के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभार की गणना के उद्देश्य से भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.2 (34) 99/ए.ओ. (पी.) /डीडीए/पार्ट

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचना के अनुमोदन हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 67/2021

प्राधिकरण संकल्प सं. 82/2019 दिनांक 17.09.2019 द्वारा अनुमोदित नीलामी पद्धति के माध्यम से धार्मिक श्रेणी के संस्थागत भूखण्डों के आबंटन हेतु प्रक्रिया एवं योग्यता शर्तों में संशोधन के संबंध में।

एफ.एल.डी/आई.एल./0002/2020/आर ई एल/7-ए-इंस्टीट्यूशनल लैंड-III (पार्ट-I)

एजेंडा मद स्थगित किया गया।

नीति की समीक्षा हेतु श्री विजेंद्र गुप्ता, श्री सोमनाथ भारती एवं श्री ओ.पी. शर्मा, प्राधिकरण के माननीय सदस्य तथा श्री मनीष कुमार गुप्ता, सदस्य (प्रशा. एवं भू. प्रबं.), दि.वि.प्रा. की एक समिति का गठन किया गया।

मद सं. 68/2021

हॉस्टल में अनुमत गतिविधियों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना- 2021 हेतु संशोधन।

एफ.20 (13) 2013-एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल सूचना को नोट किया गया।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाएं गए 'अन्य बिन्दु'

श्री विजेंद्र गुप्ता

- क) आवसीय संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

ख) कई मामलों में दि.वि.प्रा. द्वारा पट्टा रद्द कर दिया गया किन्तु नीति के अनुसार परिवर्तन एवं पार्किंग प्रभार के भुगतान के बाद नगर निगमों द्वारा संपत्ति को नियमित कर दिया गया। एक नीति तैयार की जाए एवं ऐसे पट्टों की बहाली में शीघ्रता लाई जाए।

श्री सोमनाथ भारती

- क) दि.वि.प्रा. द्वारा दि.ज.बो. को सीएससी बाजार, गुलाबी बाग में पानी का कनेक्शन प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- ख) विकासपुरी में लगभग 25 एकड़ भूमि जिस पर से अतिक्रमण हटाया गया, को अस्पताल के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आबंटित किया जाए।

श्री ओ.पी. शर्मा

- क) कड़कड़ूमा कोर्ट के पास लंबे समय से लंबित बहु मंजिला पार्किंग परियोजना के निर्माण में शीघ्रता लाई जाए।
- ख) हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईजीएल ईंधन स्टेशनों हेतु भूमि आबंटन के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाए।
- माननीय उप राज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष अतिथिगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।
